तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता श्री यु0एस0शर्मा अनुपस्थित। गैर सायलान के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2019 पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायलान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल कम्पनी की ओर से निर्मित खाद्य पदार्थ ''नमस्ते इण्डिया घी'' का नमूना सायल द्वारा गैर सायल सं. 1 की दुकान से लिया गया है तथा प्रयोगशाला जांच मे इसे ''सर्व गुण सम्पन्न'' विशिष्ठ उल्लेख के कारण अधिनियम की धारा 26(2)(।।) के तहत अवमानक पाये जाने पर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है जबकि इसी आधार पर पूर्व मे प्रस्तुत किये गये परिवाद सं. 15/2013 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर बनाम अनिल कुमार व अन्य मे इस न्यायालय द्वारा इसी विषयवस्तु के सम्बन्ध मे विस्तृत विश्लेषण एवं विवेचन उपरांत उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के विपरित होना नही मानते हुए परिवाद निर्णय दिनांक 19.06.2014 के द्वारा खारिज किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी उच्चतर प्राधिकरण के समक्ष अपील पेश नही किये जाने से उक्त आदेश अंतिम हो गया है तथा पुनः इसी खाद्य पदार्थ ''नमस्ते इण्डिया घी'' के बाबत इसी विवाद बिन्दु को लेकर नया परिवाद पेश किया गया है जो विधि के सारभूत प्रावधानों के विपरित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाया जावें। अभियोजन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के जवाब मे निवेदन किया कि गैर सायलान द्वारा बाजार मे विक्रय हेतु अपनी दुकान मे रखा गया खाद्य उत्पाद खाद्य विश्लेषक की जांच मे ''मिथ्याछाप'' श्रेणी मे पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अधीन उचित मानक का नही पाये जाने पर गैर सायलान के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवाद के संलग्न प्रस्तुत प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान के विरूद्ध जुर्माना आरोपित किया जावें। हमने उभय पक्षों के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि गैर सायल सं. 3 नमस्ते इण्डिया प्रा0लि0 कम्पनी के द्वारा निर्मित खाद्य उत्पाद ''नमस्ते इण्डिया घी'' का नमूना गैर सायल सं. 1 की फर्म से लिया जाकर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया गया। जांच उपरांत खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट फॉर्म-बी दिनांक 21.06.2017 मे खाद्य सामग्री को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अधीन ''मिथ्याछाप'' होना अंकित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा यह परिवाद गैर सायलान के विरूद्ध प्रस्तुत कर अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया गया है। इसके विरूद्ध गैर सायलान के अधिवक्ता द्वारा जवाब एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा इसी विवाद वस्तु एवं विवाद बिन्दु को लेकर पूर्व मे भी परिवाद सं. 15/2013 इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2014 के द्वारा खारिज किया गया है तथा इस आदेश को किसी उच्चतर प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नही दिये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश अंतिम हो जाने से पुनः इसी आधार पर नया परिवाद नही लाया जा सकता है। इस प्रकार अधिवक्ता गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थी द्वारा इसी खाद्य पदार्थ निर्माता कम्पनी के इसी ब्रॉण्ड ''नमस्ते इण्डिया घी'' को सर्व गुण सम्पन्न अंकित होने से ''मिथ्याछाप'' होना उल्लेख कर परिवाद प्रस्तुत किया गया जो इस न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत अधिनियम के प्रावधानों के विपरित नही होना मानते हुए खारिज कर दिया गया है। ऐसे मे पुनः इसी विवाद वस्तु एवं विवाद बिन्दु को लेकर नया परिवाद प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद सारहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।	

आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर